(188)

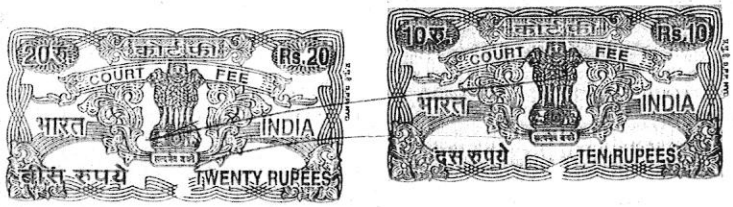

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर संभाग ग्वालियर

म.प्र. R 188-II-17

प्रकरण क्रमांक /निगरानी

श्रीमरामजानकी मंदिर ट्रस्ट बैराड द्वारा अध्यक्ष रामजीलाल गुप्ता पुत्र स्व. श्री फुन्दीलाल गुप्ता आयु 74 वर्ष, व्यवसाय–व्यापार, निवासी–न्यू कालोनी बैराड़, तहसील बैराड़ जिला शिवपुरी म.प्र. ....**निगरानीकर्ता**

दिनांक 4-3-17 को श्री सुन्दरम श्रीवास्तव अभि. द्वारा प्रस्तुत/ 4-3-17 SO (Sundram Srivastava) Adv.

बनाम

1. हरीशंकर पुत्र श्री चिन्टूलाल वैश्य आयु 55वर्ष व्यवसाय–दुकानदारी, निवासी–न्यू कालोनी बैराड़ तहसील बैराड़ जिला शिवपुरी म.प्र.

2. म.प्र. शासन ....**अनावेदकगण**

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 25.01.2017 न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 43/15–16 अपील ।

श्रीमान महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, निगरानीकर्ता श्री रामजानकीमंदिर ट्रस्ट बैराड़ एक धार्मिक ट्रस्ट है, तथा रामजीलाल गुप्ता पुत्र स्व. श्री फुन्दीलाल गुप्ता उक्त ट्रस्ट के अध्यक्ष होकर ट्रस्ट की ओर से समस्त कार्यवाही करने हेतु अधिकृत है।

2. यहकि, रेस्पोडेंट क्रमांक 1/आवेदक द्वारा माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय परगना पौहरी व जिला शिवपुरी के समक्ष दिनांक 26.01.2007 को एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 89 म.प्र.भू राजस्व संहिता का

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 788–दो/2017 जिला– शिवपुरी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18–08–17	आवेदक के अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्र0क्र0 43/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 25.01.2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा–50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक हरीशंकर द्वारा बन्दोबस्त में हुये त्रुटि को सुधारने के लिये विचारण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अभिलेख में दुरूस्ती का आदेश दिया है। जिसे अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त ने स्थिर रखा है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है, जिनमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार प्रकट नहीं होता है। दर्शित परिस्थितियों को देखते हुये यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। **(एस0एस0अली)** सदस्य	